भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GD 371820

(प्रारूप–"अ")

हम अभिलाख सिंह पुत्र श्री राम सिंह (अध्यक्ष) एवं सुमन देवी पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह (सचिव) श्री रूपपाल सिंह उच्च शिक्षा समिति पता कुदरकोट, औरैया उत्तर प्रदेश शपथ पूर्वक निम्नवत ब्यान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा श्री गजाधर सिंह यशोदा देवी स्मारक महाविद्यालय महाराज नगर, शंकरपुर, कुदरकोट, औरैया नामक संस्था मे डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि मे गाटा संख्या 261, 289, 290, 291,295, एवं रकवा क्र0 0.1510, 0.2460, 0.2450, 0.2460, 0.1490, एवं 1.0365 हे0 कुल रकवा भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि मे गाटा संख्या 261, 289, 290, 291,295, एवं रकवा क्र0 0.1510, 0.2460, 0.2450, 0.2460, 0.1490, एवं 1.0365 हे0 पर उपरोक्त नाम कि डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 28/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पतों पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षक समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो

Scanned with CamScanner

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

सुमनदेवी

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ पत्र .... [illegible] .... जिनको ... श्री .... [illegible] .... एडवोकेट ... बिधूना में आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया और इस शपथ पत्र के पूर्ण अभिलेख को पढ़कर अनुवाद को सुनकर व समझकर शपथ पत्र ... किया। दिनांक 01.09.2023

... फीस ...

उपेन्द्र सिंह पाल ... 01-9-2023

तहसील बिधूना जिला औरैया

Scanned with CamScanner